"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी 2017— माघ 25, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-दो में,

(क) मुख्य सरल क्रमांक एक के सम्मुख एवं उप सरल क्रमांक 1 के ऊपर, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	संभाग का नाम	जिलों के नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नियत आरक्षण का प्रतिशत	100 बिन्दु रोस्टर में अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित बिन्दु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"एक.	रायपुर		अनुसूचित जाति 14%	6, 12,19, 24, 31, 39, 46, 53, 60, 68, 75, 82, 89, 95
			अनुसूचित जनजाति 17%	2, 9, 15, 21, 28, 34, 38, 44, 50, 57, 63, 67, 73, 80, 86, 92, 99
			अन्य पिछड़े वर्ग 14%	3, 11, 17, 26, 32, 41, 48, 55, 62, 70, 77, 84, 90,97"

(ख) उप सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	संभाग का नाम	जिलों के नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नियत आरक्षण का प्रतिशत	100 बिन्दु रोस्टर में अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित बिन्दु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2.		जिला बलौदा बाजार-भाटापारा	अनुसूचित जाति 21%	2, 8, 14, 19, 24, 28, 34, 38, 41, 45, 50, 56, 60, 64, 70, 74, 79, 85, 89, 93, 99
			अनुसूचित जनजाति 13%	5, 15, 22, 30, 37, 43, 51, 58, 66, 73, 81, 87, 96
			अन्य पिछड़े वर्ग 14%	3, 10, 11, 17, 26, 32, 47, 54, 62, 68, 76, 83, 91, 97"

(ग) उप सरल क्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	संभाग का नाम	जिलों के नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नियत आरक्षण का प्रतिशत	100 बिन्दु रोस्टर में अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित बिन्दु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"एक-क.	दुर्ग संभाग		अनुसूचित जाति 12%	6, 13, 20, 30, 37, 46, 55, 64, 71, 79, 88, 95
			अनुसूचित जनजाति 17%	2, 9, 15, 22, 27, 34, 39, 44, 50, 57, 62, 67, 74, 80, 85, 92, 99
			अन्य पिछड़े वर्ग 14%	3, 11, 17, 26, 32, 41, 48, 53, 60, 69, 76, 83, 90, 97"

2. उक्त संशोधन, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, दिनांक 14-2-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास सील, सचिव.

Naya Raipur, the 14th February 2017

NOTIFICATION

No. F 13-14/2009/R.C./1-3.— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of Section 4 and Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said Rules,-

1. In Schedule-II,

(a) Against main serial number I and above sub-serial number 1, for the entries, the following shall be substituted, namely :-

S. No. (1)	Name of Division (2)	Name of Districts (3)	Percentage of reservation fixed for SC/ST/OBC Category (4)	Reserved point in 100 point roaster for Scheduled Tribes/Scheduled Castes/Other Backward Classes. (5)
"I.	Raipur Division		SC 14%	6, 12, 19, 24, 31, 39, 46, 53, 60, 68, 75, 82, 89, 95
			ST 17%	2, 9, 15, 21, 28, 34, 38, 44, 50, 57, 63, 67, 73, 80, 86, 92, 99
			OBC 14%	3, 11, 17, 26, 32, 41, 48, 55, 62, 70, 77, 84, 90, 97"

(b) for sub-serial number 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

S. No. (1)	Name of Division (2)	Name of Districts (3)	Percentage of reservation fixed for SC/ST/OBC Category (4)	Reserved point in 100 point roaster for Scheduled Tribes/Scheduled Castes/Other Backward Classes. (5)
"2.		District Baloda Bajar-Bhatapara	SC 21%	2, 8, 14, 19, 24, 28, 34, 38, 41, 45, 50, 56, 60, 64, 70, 74, 79, 85, 89, 93, 99
			ST 13%	5, 15, 22, 30, 37, 43, 51, 58, 66, 73, 81, 87, 96
			OBC 14%	3, 10, 11, 17, 26, 32, 47, 54, 62, 68, 76, 83, 91, 97"

(c) After sub-serial number 5, the following shall be inserted, namely :-

S. No. (1)	Name of Division (2)	Name of Districts (3)	Percentage of reservation fixed for SC/ST/OBC Category (4)	Reserved point in 100 point roaster for Scheduled Tribes/Scheduled Castes/Other Backward Classes. (5)
"I-A.	Durg Division		SC 12%	6, 13, 20, 30, 37, 46, 55, 64, 71, 79, 88, 95
			ST 17%	2, 9, 15, 22, 27, 34, 39, 44, 50, 57, 62, 67, 74, 80, 85, 92, 99
			OBC 14%	3, 11, 17, 26, 32, 41, 48, 53, 60, 69, 76, 83, 90, 97"

2. These amendments shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.